

असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग III-खण्ड 4

PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 24, 2014/ज्येष्ठ 3, 1936

No. 163]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 24, 2014/JYAISTHA 3, 1936

## वि वविद्यालय अनुदान आयोग

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2014

वि विद्यालय अनुदान आयोग (सम—वि विवद्यालय बनने वाली संस्थाएं) (सं ोधन) विनियम, 2014 (उपर्युक्त विशय को ''सम—वि विवद्यालय रूपी संस्थान (सं ोधन) विनियम, 2014 पढ़ा जाए'')

- 1. (1) ये वि वविद्यालय अनुदान आयोग (सम—वि वविद्यालय रूपी संस्थान (सं गोधन) विनियम, 2014 कहलाएंगे।
  - (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रका ान की तिथि से लागू होंगे।
- 2. वि वविद्यालय अनुदान आयोग (सम—वि वविद्यालय रूपी संस्थान) 2010 के विनियम 4 (जो आगे से मूल विनियमों के रूप में उल्लिखित है) में
- क. धारा ४.५ को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-
- "4.5. ऐसा संस्थान नहीं होगा जो सुमेलित ोध क्षमताओं के साथ स ाक्त अंतःविषय क्षेत्रीय तथा नवाचारी कार्यक्रमों के बिना केवल परंपरागत डिग्रियां प्रदान करने वाली िक्षा प्रदान करता हो, और जिसने समकक्षों की मान्यता तथा सत्यापनयोग्य विद्वतापूर्ण उपलब्धियां तथा ोध परिणाम प्राप्त किए हों। उदाहरण के लिए ऐसा संस्थान केवल इंजीनियरी अथवा प्रबंधन अथवा चिकित्सा अथवा फार्मेसी अथवा दंत्यविज्ञान आदि में कार्यक्रम, जोकि कालेज के मौजूदा स्तर द्वारा प्रदान किए जाते रह सकते हैं आयोजित करने तक सीमित नहीं रहेगा।
- ख. धारा 4.18 के बाद निम्न धारा गामिल की जाएगी नामत:
- "4.19. कि वह 5 अथवा इससे अधिक वर्षों से 'स्वायत्त ाासी महाविद्यालय' के रूप में रहा है तथा संप्रति उसके पास मान्यताप्राप्त प्रत्यायन प्राधिकरण द्वारा दिया गया ए ग्रेड सहित वैध प्रत्यायन है तथा आयोग द्वारा उसे 'उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय' का अथवा 'उत्कृष्टता वाले महाविद्यालय' का स्तर प्रदान किया गया है।"
- 3. मूल विनियमों के विनियम 5 में:
- (क) धारा 5.1 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा नामतः

2167 GI/2014 (1)

"5.1. प्रस्तावित सम—वि विवद्यालय रूपी संस्थान सरकार द्वारा सोसायटी रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक अलाभकारी सोसायटी के रूप में अथवा लोक न्यास अधिनियम के अधीन एक अलाभकारी न्यास के रूप में अथवा कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अधीन (जो इसके बाद प्रबंधक सोसायटी / न्यास / कंपनी के रूप में उल्लिखित की जाएगी) एक ऐसी अलाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा, जिसका स्वामित्व सोसायटी रिजस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी अलाभकारी सोसायटी का अथवा लोक न्यास अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी अलाभकारी न्यास का अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन पंजीकृत किसी अलाभकारी कंपनी का होगा, (इसके बाद जो प्रायोजक सोसायटी / न्यास / कंपनी के रूप में उल्लिखित की जाएगी)।

ब ार्ते कि ऐसा सम—वि विवद्यालय सरकारी वित्तपोषण प्राप्त करने वाला सम—वि विवद्यालय न हो उसके सदस्य/न्यासी/प्रवर्तक प्रायोजक सोसायटी/न्यास/कंपनी के सदस्यों/न्यासियों/ प्रवर्तकों के साथ प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः संबद्ध नहीं होंगे।

- (ख) धारा 5.2 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा नामतः
  - "5.2. सम—वि विवद्यालय के प्राधिकारियों में से एक कुलाधिपित होंगे जिनकी नियुक्ति प्रायोजक सोसायटी / न्यास / कंपनी द्वारा की जाएगी तथा वह प्रायोजक सोसायटी / न्यास / कंपनी के अध्यक्ष / न्यासी / प्रवर्तक अथवा उसके निकट संबंधियों से इतर एक सुप्रतिष्ठित िक्षाविद अथवा वििष्ट सार्वजनिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होंगे।"
- (ग) धारा 5.4 में ''अथवा एक वििाष्ट अकादिमक'' ाब्द विलोपित कर दिए जाएंगे।
- (घ) धारा 5.5 में ''न्यास (अथवा) सोसायटी'' इन भाब्दों के स्थान पर ''प्रायोजक सोसायटी / न्यास / कंपनी'' भाब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (ड) धारा 5.7 में क्रम संख्या (vii) के लिए निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा नामतः
  - ''(vii) प्रायोजक सोसायटी / न्यास / कंपनी के अधिक से अधिक दो नामिती''।
- (च) धारा 5.8 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः
  - "5.8. कुलपति एक सुप्रतिष्ठित अकादिमक होंगे और उनकी नियुक्ति अनुलग्नक—II की धारा 6.2 के अधीन निर्धारित विधि से की जाएगी।
- (छ) धारा 5.9 के बाद निम्न भागिल किया जाएगा, नामतः
  - "5.10. इन विनियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद सरकारी वित्तपोषित सम—वि वविद्यालयके स्वरूप वाले संस्थान की अभि गासन प्रणाली तथा उसका प्रबंधन ढांचा स्थिति अनुसार केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार होना चाहिए।
- मूल विनियम के विनियम 6 को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः
- "6.0. दाखिले एवं फीस संरचना
- 6.1. कोई भी सम—वि विवद्यालय संस्थान में संचालित किए जा रहे अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम में प्रवे ा के लिए कोई प्रवेश ाुल्क तथा अन्य कोई भाुल्क अथवा प्रभार का भुगतान स्वीकार नहीं करेगा।
- क. इस विषय में सरकार अथवा आयोग द्वारा समय—समय पर ुल्क विनियमों के अंतर्गत ऐसे प्रवे ा के लिए निर्धारित ऐसी फीस अथवा प्रभार के अलावा, जिसे उसके द्वारा विवरणिका में किसी सीट पर प्रवे ा हेतु घोषित किया गया हो तथा जिसे उस संस्थान की वेबसाइट पर दर्शाया गया हो; तथा
- ख. ऐसे संस्थान में दाखिल किए गए संबंधित छात्र द्वारा किए गए भुगतान के लिए लिखित रूप में जारी की गई उपयुक्त रसीद के बिना।
- 6.2. कोई भी सम–वि वविद्यालय संस्थान प्रवे । परीक्षा के लिए ऐसा कोई प्रभार अथवा फीस नहीं वसूलेगा जो उस परीक्षा के संचालन में खर्च की गई उचित लागत की राशि के परिचायक व्यय के अलावा हो।
- आगे यह भी ार्त है कि कोई भी सम—वि वविद्यालय रूपी संस्थान किसी भी प्रकार से िक्षा के व्यापारीकरण में लिप्त नहीं होगा तथा समस्त सुपात्र छात्रों को समानता और सुलभता उपलब्ध कराएगा।
- 6.3. सरकारी अथवा निजी, किसी भी सम-वि वविद्यालय रूपी संस्थान में छात्रों को निम्न प्रकार से प्रवे । दिया जाएगाः

- करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, किसी भी व्यक्ति को ऐसे संस्थान में अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम में दाखिल नहीं किया जाएगा।"
- (ii) यदि किसी संस्थान में अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम में दाखिले के लिए प्रतियोगात्मक प्रवे ा परीक्षा आयोजित करने सिहत चयन की कोई प्रक्रिया उप—धारा (i) के अधीन विनिर्दिष्ट नहीं की गई है, उस मामले में कोई भी व्यक्ति ऐसे संस्थान की विवरणिका में विनिर्दिष्ट पारस्परिक योग्यताक्रम के माध्यम को छोड़कर अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम में दाखिले के लिए पात्र नहीं होगा।

लेकिन ार्त यह है कि सम—वि वविद्यालयों रूपी संस्थानों में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ)/विदे ी छात्रों का दाखिला आयोग द्वारा इस संबंध में समय—समय पर बनाए गए मार्गनिर्दे ों/विनियमों द्वारा भासित होगा।

- 6.4. सम–वि वविद्यालय रूपी प्रत्येक संस्थान :
- (क) अभ्यर्थियों के दाखिले की समूची प्रक्रिया का रिकार्ड रखेगा और इस तरह का रिकार्ड कम से कम 5 वर्ष के अवधि के लिए परिरक्षित करेगा;
- (ख) ऐसे रिकार्ड अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा; तथा
- (ग) किसी सांविधिक निकाय अथवा सरकार द्वारा फिलहाल लागू किसी विधि के अधीन मांगे जाने पर ऐसा रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- 6.5. सम—वि विवद्यालय रूपी प्रत्येक संस्थान अध्ययन के अपने पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों में दाखिला ुरू होने की तारीख से पहले 60 दिन की अविध पूरा होने से पूर्व एक ऐसी विवरणिका प्रकाित करेगा जिसमें ऐसे संस्थानों में दाखिले के इच्छुक व्यक्तियों तथा जनसाधारण के सूचनार्थ निम्न भामिल होगा नामतः
- (i) ऐसे संस्थान में अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम में दाखिल छात्रों द्वारा देय फी, जमा तथा अन्य प्रभारों का प्रत्येक घटक तथा ऐसे भूगतान की अन्य भार्तें और उपबंध;
- (ii) यदि कोई छात्र अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम के पूरा होने से पहले अथवा बाद में ऐसे संस्थान को छोड़ देता है तो उस स्थिति में ऐसे संस्थान में दाखिल छात्र को वापिस किए जाने वाले िक्षण भाुल्क तथा अन्य प्रभारों का प्रति ात और वह समय जिसके भीतर छात्र को इस तरह की वापसी कर दी जाएगी;
- (iii) जिस ौक्षणिक वर्ष के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम में दाखिला प्रस्तावित है, ऐसे प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम के संबंध में स्वीकृत सीटों की संख्या;
- (iv) जहां संस्थान द्वारा इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया गया हो वहां अध्ययन के किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम में छात्र के रूप में दाखिले के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम और अधिकतम आयू—सीमा सहित पात्रता की भार्ते;
- (v) जहां किसी सांविधिक निकाय द्वारा इस तरह के अर्हक मानक विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हों वहां संगत सांविधिक प्राधिकरण / निकाय अथवा संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट भौक्षिकअर्हताएं;
- (vi) ऐसे प्रवे ा के लिए आवेदन करने वाले पात्र छात्रों के दाखिले और चयन की प्रक्रिया जिसमें अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम में दाखिले के लिए ऐसे छात्रों के वास्ते टेस्ट अथवा परीक्षा के विवरणों तथा प्रवे ा परीक्षा के लिए दी जाने वाली फीस से संबंधित सभी संगत जानकारी शामिल हो;
- (vii) िक्षण संकाय के ब्यौरे जिसमें िक्षण संकाय के प्रत्येक सदस्य की भौक्षिक अर्हताएं और िक्षण अनुभव दिया गया हो और साथ ही यह निर्दिष्ट किया गया हो कि क्या ऐसा सदस्य नियमित आधार पर है अथवा अतिथि आधार पर है;
- (viii) अध्यापकों की प्रत्येक श्रेणी एवं अन्य कर्मचारियों को देय न्यूनतम वेतन तथा अन्य परिलब्धियां;
- (ix) भौतिक और भौक्षणिक तथा अन्य सुविधाओं, जिनमें छात्रावास सुविधा, पुस्तकालय, अस्पताल अथवा उद्योग जहां छात्रों को व्यावहारिक प्रिक्षण प्रदान किया जाना है और वि ोश रूप से ऐसी सुविधाएं जोकि संस्थान में दाखिल किए जाने वाले छात्रों के लिए सुलभ होंगी, उनसे संबंधित जानकारी;
- (ग) अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम के लिए स्थिति अनुसार समुचित सांविधिक निकाय अथवा संस्थान द्वारा निर्दिष्ट पाठ्य–विवरण की विस्तृत रूपरेखा जिसमें िक्षण कार्यसमय, प्रायोगिक सत्र तथा अन्य निर्दिष्ट कार्य शामिल है;
- (xi) संस्थान के परिसर के भीतर एवं बाहर छात्रों द्वारा अनुभाासन बनाए रखने संबंधी सभी संगत सूचना तथा विभोष रूप से किसी छात्र अथवा छात्रों की रैगिंग के नि ोध से संबंधित ऐसे अनुभाासन का अनुपालन तथा इस संबंध में वि विवद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन अथवा फिलहाल लागू किसी अन्य विधि के अधीन बनाए गए किसी विनियम के प्रावधानों का उल्लंघन के परिणामों से संबंधित सभी संगत सूचना।

भार्त यह है कि सम—वि विवद्यालयरूपी संस्थान अपनी वेबसाइट पर इस धारा के (i) से लेकर (xi) मदों में उल्लिखित सूचना प्रकाित करेगा तथा विभिन्न समाचार—पत्रों में प्रमुख रूप से प्रदित्ति विज्ञापनों तथा अन्य मीडिया के माध्यम से वेबसाइट पर तथा अन्य मीडिया के माध्यम से भावी छात्रों और जनसाधारण का ध्यान ऐसे प्रका ान की ओर आकृष्ट करेगा।

आगे यह भी भार्त है कि सम—वि वविद्यालय रूपी संस्थान इस धारा में विनिर्दिष्ट 60 दिनों के पूरा होने से पहले किसी भी समय इस धारा के अनुसार विवरणिका प्रकाि ात करेगा।

- 6.6. सम—वि विवद्यालय रूपी प्रत्येक संस्थान ऐसी मुद्रित विवरणिका की प्रत्येक प्रति का मूल्य निर्धारित करेगा जोकि इसके प्रका ान और वितरण के समुचित मूल्य से बढ़कर नहीं होगा तथा ऐसी विवरणिका का प्रका ान, वितरण अथवा बिक्री से कोई लाभ नहीं कमाया जाएगा।
- 6.7. सम–वि विवद्यालय रूपी कोई भी संस्थान उसके द्वारा आयोजित अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम में किसी सीट अथवा सीटों पर दाखिले के लिए प्रतिफल के रूप में किसी भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रति व्यक्ति भाुल्क (कैपिटे ान फी) अथवा दान (डोने ान) की न तो मांग करेगा न वसूली करेगा न स्वीकार करेगा।
- 6.8. कोई भी व्यक्ति सम—वि विवद्यालय रूपी किसी भी संस्थान में अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम में किसी सीट अथवा सीटों में दाखिला प्राप्त करने के लिए प्रतिफल के रूप में प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः नकद अथवा वस्तु रूप में अथवा अन्यथा प्रति व्यक्ति ुल्क अथवा दान की कोई पेशकश नहीं करेगा।
- 6.9. सम—वि विवद्यालय रूपी कोई भी संस्थान, जिसके कब्जे अथवा अभिरक्षा में प्रमाण—पत्रों अथवा डिग्रियों, डिप्लोमा अथवा कोई अन्य अवार्ड अथवा ऐसा अन्य दस्तावेज है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे संस्थान में दाखिला प्राप्त करने के लिए जमा कराया गया है, अध्ययन के किसी भी ऐसे पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम के संबंध में जो वह व्यक्ति जारी नहीं रखना चाहता अथवा ऐसे संस्थान से कोई अन्य सुविधा प्राप्त नहीं करना चाहता, फी अथवा फीस का भुगतान करने के निमित्त प्रलोभित अथवा दबाव डालने की दृष्टि से ऐसी डिग्री, प्रमाण—पत्र, अवार्ड अथवा अन्य दस्तावेज वापिस करने से इंकार नहीं करेगा।
- 6.10. यदि अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम को जारी रखने के लिए सम—वि विवद्यालय रूपी किसी संस्थान में दाखिले के बाद उस संस्थान से अपना नाम वापिस लेता है तो उस स्थिति में कोई भी संस्थान ऐसे छात्र द्वारा जमा की गई फीस का ऐसा प्रति ात उतने समय के भीतर वापिस करने से मना नहीं करेगा जोकि ऐसे संस्थान की विवरणिका में निर्दिष्ट किया गया हो।
- 6.11. सम-वि वविद्यालय रूपी कोई भी संस्थान न तो जारी करेगा न प्रकाित करेगा :
- (क) कोई भी ऐसा विज्ञापन जिसमें संस्थान में दाखिला लेने के लिए छात्रों को प्रलोभित करने के वास्ते यह दावा किया गया हो कि उस संस्थान को समुचित सांविधिक प्राधिकरण की मान्यता प्राप्त है जबकि वस्तुतः वह इस प्रकार से मान्यताप्राप्त नहीं है; अथवा
- (ख) अपने आधारिक तंत्र अथवा ौक्षणिक सुविधाओं अथवा अपने संकाय अथवा िक्षणके स्तर अथवा ौक्षणिक या अनुसंधान निष्पादन के संबंध में विज्ञापन अथवा अन्यथा के जिरए कोई जानकारी, जबिक संस्थान अथवा संस्थान की तरफ से इस तरह के विज्ञापन जारी करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति यह जानता है कि उक्त जानकारी गलत है अथवा तथ्यों पर आधारित नहीं है अथवा भ्रामक है।
- 6.12. सम–वि विवद्यालय के रूप में घोषित किए जाने पर अपने नामांकन के अधीन अपने अनुमोदित ौक्षणिक कार्यक्रम में छात्रों को केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के बाद के ौक्षणिक सत्र से ही दाखिला देगा।
- भार्त यह है कि संस्थान में छात्रों का नामांकन किसी भी कारण से चाहे वह सम—वि विवद्यालय के रूप में घोषित किए जाने की प्रत्या ा में हो अथवा सम—वि विवद्यालय रूपी संस्थान की सीमा के अधीन शामिल किए जाने की प्रत्या ा में हो, आवेदन को अवैध करार दिया जाएगा।
- आगे यह भी भार्त है कि जो छात्र सम—िव विवद्यालय के संस्थान के रूप में घोषित किए जाने के लिए आवेदन की तारीख अथवा सम—िव विवद्यालय रूपी संस्थान की सीमा के अधीन भामिल होने की तारीख से पूर्व संस्थान में पहले से ही दाखिल थे, वे सभी प्रयोजनों के लिए संबंधन प्रदान करने वाले उस वि विवद्यालय के छात्रों के रूप में ही माने जाएंगे जिसमें उनका पहले से ही नामांकन हो चुका है, और उन्हें केवल संबंधन प्रदान करने वाले केवल उसी वि विवद्यालय द्वारा डिग्री प्रदान की जाएगी।
- 5. मूल विनियम के विनियम ७ में धारा ७.५ की उप-धारा ७.५.५ के लिए निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगाः
- "7.5.5. ' सम—वि विवद्यालय' के स्तर की घोषणा वापिस लिए जाने अथवा उस सम—वि विवद्यालय रूपी संस्थान की प्रबंधन सोसायटी / न्यास / कंपनी का विघटन हो जाने की स्थिति में समग्र निधि, दायित्वों की, यदि कोई हों तो पूर्ति करने के लिए आयोग को अंतरित कर दी जाएगी;

भार्त यह है कि सरकारी वित्तपोि ात सम—वि वविद्यालय के मामले में समग्र निधि स्थिति अनुसार केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार को अंतरित की जाएगी।

मूल विनियम के नियम 9 में धारा 9.1 निम्न द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी नामतः

"9.1. इस श्रेणी के अधीन सम—वि विवद्यालय रूपी संस्थान घोषित किए जाने के इच्छुक संस्थान को ज्ञान के ऐसे वििाष्ट और उभरते क्षेत्रों के प्रति समर्पित होने के संबंध में जोिक परंपरागत/मौजूदा संस्थानों द्वारा आगे नहीं बढ़ाए जा रहे हैं — वि ोष रूप से अध्ययन और अनुसंधान के वििाष्ट क्षेत्रों में और अधिमानतः किसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित जिन्हें दे । की कार्यनीतिक जरूरतों के लिए अथवा सांस्कृतिक दाय के परिरक्षण के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता हो, उस क्षेत्र में अग्रणी वि ोषज्ञों द्वारा अकादिमक समुदाय के विख्यात समकक्षों के साथ पराम कि बाद एक सुस्थापित प्रक्रिया द्वारा इस प्रकार निर्धारित किया गया हो, सत्यापनयोग्य साक्ष्य और वैधीकरण उपलब्ध कराना होगा। इस प्रयोजन के लिए प्रार्थी सम—वि विवद्यालय का दर्जा प्रदान किए जाने के निमित्त एक वि शिज्ञतापूर्ण क्षेत्र में उसके द्वारा ज्ञान के उभरते क्षेत्रों में आयोजित पाठ्यक्रमों और अनुसंधान कार्यक्रमों के विस्तृत पाठ्यक्रम सिहत औचित्य प्रदान करेगा।"

7. मूल विनियम के विनियम 12 में उप—धारा 12.03.8 के बाद निम्न ामिल किया जाएगा नामतः

"12.03.ए. सम–वि वविद्यालय के रूप में संस्थान को अनुमोदित भौगोलिक सीमाओं से परे अधिक से अधिक 6 परिसर–बाह्य संचालित करने की अनुमति होगी।

- मूल विनियमों के विनियम 18 में निम्न परंतुक गामिल किया जाएगा नामतः
- " ार्त यह है कि जब सम—वि विवद्यालय रूपी कोई संस्थान अपनी भौगोलिक सीमाओं के भीतर दूरस्थ िक्षा में कोई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, वह केवल संबंधित सांविधिक निकाय की अनुमित से ऐसा करना जारी रख सकता है तथा वि विवद्यालय अनुदान आयोग (सम—वि विवद्यालय रूपी संस्थान) (सं ोधन) विनियम, 2014 के प्रवर्तन से 10 वर्ष पूरा हो जाने के बाद ऐसे कार्यक्रम किसी भी स्थिति में जारी नहीं रखे जाएंगे।"
- 9. मूल विनियम के विनियम 22 की धारा 22.2 में:
- (क) ''आयोग को अपवर्तित / जब्त समझी जाएगी''—इन ाब्दों को ''आयोग को हस्तांतरित समझी जाएगी'' इन भाब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ख) निम्न परंतुक शामिल किया जाएगा नामतः

"ब ार्ते कि किसी सरकारी वित्तपोि ात सम—वि विवद्यालय रूपी संस्थान को अधिसूचित करने वाली घोषणा वापिस लिए जाने की स्थिति में सम—वि विवद्यालय रूपी संस्थान की समूची चल और अचल परिसंपित्तयां स्थिति अनुसार केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार को हस्तांतरित की जाएंगी।

- 10. मूल विनियम के अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 में
- (क) ''सोसायटी अथवा न्यास के रूप में'' भाब्दों, ''सोसायटी अथवा न्यास'' ाब्द तथा ''सोसायटी / न्यास / कंपनी'' भाब्द जहां कहीं प्रकट हो रहे होंगे वे ''सोसायटी / न्यास / कंपनी'' भाब्दों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाएंगे।
- (ख) "नियंत्रक न्यासी" तथा "प्रायोजक सोसायटी अथवा न्यास": ये ाब्द जहां कहीं भी प्रकट हो रहे होंगे, "प्रायोजक सोसायटी / न्यास / कंपनी" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- 11. मूल विनियम के अनुलग्नक 1 में:
- (क) धारा 4.3 में क्रम संख्या (XV) के लिए निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

"XV. प्रायोजक सोसायटी / न्यास / कंपनी के अधिक से अधिक दो नामिती"।

(ख) धारा 4.4 की उप-धारा (XVI) के लिए निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

"XVI. सम—वि विवद्यालय रूपी संस्थान की ओर से चल अथवा अचल संपत्ति को अंतरित करना अथवा अंतरण को स्वीकार करना।"

भार्त यह है कि प्रबंधन बोर्ड प्रायोजक सोसायटी / न्यास / कंपनी के अनुमोदन के बिना सम–विविद्यालय रूपी संस्थान की किसी भी चल अथवा अचल संपत्ति को किसी भी रूप में न तो अंतरित करेगा न उसका स्वामित्व बदलेगा।"

- 12. मूल विनियम के अनुलग्नक 2 में:
- (क) धारा 1.2 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

"1.2. अकादिमक परिषद का गठन

अकादिमक परिषद में निम्न व्यक्ति शामिल होंगे, नामतः

- कुलपति अध्यक्ष
- 2. सम–कुलपति
- 3. संकाय अध्यक्ष
- विभागाध्यक्ष
- 5. विभागाध्यक्षों से इतर सभी प्रोफेसर (वरिष्ठता के अनुसार बारी-बारी से)

- 6. विभागाध्यक्षों से इतर विभागों के दो सह-प्रोफेसर, वरिष्ठता के अनुसार बारी-बारी से
- 7. विभागों से दो सह-प्रोफेसर वरिष्ठता के अनुसार बारी-बारी से
- 8. विख्यात िक्षाविदों अथवा सम—वि विवद्यालय रूपी संस्थान के क्रियाकलापों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र के व्यक्तियों में से ऐसे तीन व्यक्ति जोकि सम—वि विवद्यालय रूपी संस्थान की सेवा में न हों, जिन्हें कुलपित द्वारा नामित किया गया हो।
- 9. ऐसे तीन सदस्य जो िक्षण स्टाफ के सदस्य नहीं हैं जिन्हें उनके वि ोषज्ञतापूर्ण ज्ञान के लिए अकादिमक परिषद द्वारा सहयोजित किया गया है।
- 10. कुलसचिव जो अकादमिक परिषद का सचिव होगा।

टिप्पणी : विभिन्न श्रेणियों का प्रतिनिधित्व केवल बारी—बारी से होगा तथा चयन के माध्यम से नहीं। यह भी सुनि चत किया जाना चाहिए कि परिषद की सदस्यता में किसी वि ोष संकाय का आधिपत्य न हो।

(ख) धारा ५.१ के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

"प्रोफेसरों, सह–प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों एवं ऐसे ही कुछ अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु प्रबंधन बोर्ड के पास अनु ांसाएं करने के लिए एक चयन समिति होगी तथा वि वविद्यालयों एवं कालेजों में िक्षिकों एवं अन्य अकादिमक स्टाफ की नियुक्तियों एवं उच्चतर िक्षा के मानकों के अनुरक्षण के उपाय संबंधी यूजीसी विनियम, 2010, यथा सं गोधित विनियमों के अनुसार उपरोक्त अनु ांसाएं की जाएंगी।

(ग) धारा 5.2 निम्न द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः

प्रत्येक चयन समिति का गठन वि विवद्यालयों तथा कालेजों में अध्यापकों तथा अन्य अकादिमक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं संबंधी यूजीसी विनियमों तथा उच्चतर िक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए समय—समय पर यथासं गेधित उपायों के अनुसार किया जाएगा।

- (घ) धारा 6.2 की उप-धारा (i) निम्न द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः
- (i) कुलपति उस सम–वि विवद्यालय का एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा तथा उसे समय–समय पर यथासं ोधित वि विवद्यालयों और कालेजों में अध्यापकों तथा अन्य अकादिमक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए उपाय, 2010 संबंधी विनियमों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा।

बशर्ते सरकारी वित्तपोि ात मानित वि वविद्यालय के मामले में कुलपित की नियुक्ति यथास्थिति केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार की जाएगी।

- (ङ.) धारा 16.0 में इन ाब्द एवं अंकों ''प्रति 5 वर्ष अथवा इससे पूर्व, यदि आव यक माना गया, किसी समिति द्वारा'', यह ाब्द एवं अंक ''प्रति 5 वर्ष अथवा इससे पूर्व यदि आव यक माना गया, किसी समिति द्वारा''— प्रतिस्थापित होंगे।
- (च) धारा 23.0 में निम्न परंतुक सम्मिलित किया जाएगा, नामतः

ब ार्ते कि सरकारी वित्तपोि ात किसी सम—वि वविद्यालय के मामले में, ऐसा हस्तांतरण यथास्थिति केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के पक्ष में होगा।

प्रो. (डॉ.) जसपाल एस. संधु , सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधा./113/14]

# UNIVERSITY GRANTS COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2014

## [Ugc (Institutions Deemed To Be Universities) (Amendment) Regulations, 2014]

No. F. 6-1(ii)/2006(CPP-I/DU) 1. (1) These may be called the UGC (Institutions Deemed to be Universities) (Amendments) Regulations, 2014.

- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In regulation 4 of the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2010 (hereinafter referred to as the principal Regulation)—
  - (a) for clause 4.5, the following shall be substituted, namely:—
    - "4.5 Shall not be an institution imparting education leading to conventional degrees only, without strong inter-disciplinary and innovative programmes with matching research capabilities, and should have achieved peer recognition and verifiable scholarly attainment and research output. For example, it shall

not be limited to imparting programmes in engineering or management or medicine or pharmacy or dental sciences, etc., which can continue to be offered with the existing status of a college."

- (b) after clause 4.18, following clause shall be inserted, namely:—
  - "4.19 Has been an 'autonomous college' for five or more years and currently with valid accreditation with 'A' Grade by a recognized accreditation authority and conferred status of a 'College with potential for Excellence' or of 'College of Excellence' by the Commission."
- 3. In regulation 5 of the principal Regulation
  - (a) for clause 5.1, the following shall be substituted, namely:—
    - "5.1 The proposed institution deemed to be university shall be registered as a not-for-profit Society under the Societies Registration Act, 1860 or as a not-for-profit Trust under the Public Trust Act, or as a not-for-profit company under section 8 of the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as the Managing Society/Trust/Company), which shall be owned by a not-for-profit Society registered under the Societies Registration Act, or a not-for-profit Trust registered under the Public Trust Act, or a not-for-profit company registered under section 8 of the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as the Sponsoring Society/Trust/Company), or in case of a public funded deemed to be university, by the Government:

Provided that the members/trustees/promoters of a Managing Society/Trust/Company of a deemed to be a university, not being a public funded deemed to be university, shall not be directly or indirectly connected with the members/trustees/promoters of the sponsoring Society/Trust/Company."

- (b) for clause 5.2 the following shall be substituted, namely:-
  - "5.2 Among the authorities of the deemed to be universities, there shall be a Chancellor who shall be appointed by the sponsoring Society/Trust/Company and shall be an eminent educationist or a distinguished public figure other than the President/Trustee/promoter of the sponsoring Society/Trust/Company or his / her close relative."
- (c) in clause 5.4, the words 'or a distinguished academic' shall be deleted.
- (d) in clause 5.5, for the words 'Trust (or) Society', the words 'sponsoring Society/Trust/Company' shall be substituted.
- (e) in clause 5.7, for serial number vii) the following shall be substituted, namely :-
  - "vii) maximum of two nominees of the sponsoring society/trust/company"
- (f) for clause 5.8 the following shall be substituted, namely:-
  - "5.8 The Vice Chancellor shall be an eminent academic and shall be appointed in the manner laid down under clause 6.2 in **Annexure 2.**"
- (g) After clause 5.9, the following shall be inserted, namely:-
  - "5.10 Notwithstanding anything contained in these Regulations, the governance system and management structure of a public funded institution Deemed to be University may be in accordance with the decision of the Central Government or the State Government, as the case may be."
- 4. For regulation 6 of the principal Regulation, the following shall be substituted, namely:-

## "6.0 ADMISSIONS AND FEES STRUCTURE

- 6.1 No institution deemed to be university shall, for admission in respect of any course or programme of study conducted in such institution, accept payment towards admission fee and other fees and charges,-
  - (a) other than such fee or charges for such admission as fixed in accordance with the Fee Regulations framed by the Government or by the Commission in this behalf from time to time, which shall be declared by it in the prospectus for admission against any such seat, and on the website of the institution; and
  - (b) without a proper receipt in writing issued for such payment to the concerned student admitted in such institution.
- 6.2 No institution deemed to be university shall charge any fee for an admission test other than an amount representing the reasonable cost incurred by it in conducting such test:

Provided further that an institution deemed to be university shall not engage in commercialization of education in any manner whatsoever, and shall provide for equity and access to all deserving students.

6.3 Admission of students to an institution deemed to be university, public or private, shall be made in the following manner:

- (i) In case the appropriate statutory authority has specified the process of selection for admission to any course, or programme of study in any institution which includes conducting competitive admission test for ascertaining the competence of any person to pursue such course or programme of study, in that case, no person shall be admitted to such course or programme of study in such institution, except through an admission test conducted by a recognized body or such institution or a group of institutions if such institution or group of institutions have been so authorised by the Central Government or a State Government or any statutory authority.
- (ii) In case the process of selection for admission to any course or programme of study in any institution including conducting competitive admission test has not been specified under sub-clause (i), in that case, no person shall be eligible for admission to such course or programme of study in such institution except through inter se merit to be specified in the prospectus of each institution:

Provided that admission of Non-Resident Indians (NRI)/Persons of Indian Origin (PIO)/Foreign students to institutions deemed to be universities shall be governed by the Guidelines/Regulations framed by the Commission in this behalf from time to time.

- 6.4 Every institution deemed to be university shall
  - (a) maintain the records of the entire process of selection of candidates, and preserve such records for a minimum period of five years;
  - (b) exhibit such records on its website; and
  - (c) be liable to produce such record, whenever called upon to do so by any statutory authority or by the Government under any law for the time being in force.
- 6.5 Every institution deemed to be university shall publish, before expiry of sixty days prior to the date of the commencement of admission to any of its courses or programmes of study, a prospectus containing the following for the purposes of informing those persons intending to seek admission to such institution and the general public, namely:-
  - each component of the fee, deposits and other charges payable by the students admitted to such institution for pursuing a course or a programme of study, and the other terms and conditions of such payment;
  - (ii) the percentage of tuition fee and other charges refundable to a student admitted in such institution in case such student withdraws from such institution before or after completion of course or programme of study and the time within, and the manner in, which such refund shall be made to the student;
  - (iii) the number of seats approved in respect of each course or programme of study for the academic year for which admission is proposed to be made;
  - (iv) the conditions of eligibility including the minimum and maximum age limit of persons for admission as a student in a particular course or programme of study, where so specified by the institution;
  - (v) the educational qualifications specified by the relevant statutory authority/body, or by the institution, where no such qualifying standards have been specified by any statutory authority;
  - (vi) the process of admission and selection of eligible candidates applying for such admission, including all relevant information in regard to the details of test or examination for selecting such candidates for admission to each course or programme of study and the amount of fee to be paid for the admission test:
  - (vii) details of the teaching faculty, including therein the educational qualifications and teaching experience of every member of its teaching faculty and also indicating therein whether such ,member is on regular basis or visiting basis;
  - (viii) the minimum pay and other emoluments payable for each category of teachers and other employees;
  - (ix) information in regard to physical and academic infrastructure and other facilities including hostel accommodation, library, hospital or industry wherein the practice training to be imparted to the students and in particular the facilities accessible by students on being admitted to the institution;
  - (x) broad outline of the syllabus specified by the appropriate statutory body or by institution, as the case may be, for every course or programme of study, including the teaching hours, practical sessions and other assignments;

(xi) all relevant instructions in regard to maintaining the discipline by students within or outside the campus of the institution, and, in particular, such discipline relating to prohibition of ragging of any student or students and the consequences thereof and for violating the provisions of any regulation in this behalf made under the University Grants Commission Act, 1956 or any other law for the time being in force.

Provided that the institution deemed to be university shall publish information referred to in items (i) to (xi) of this clause on its website, and the attention of the prospective students and the general public shall be drawn to such publication on the website through advertisements displayed prominently in the different newspapers and through other media;

Provided further that the institution deemed to be university may publish prospectus in accordance with this clause at any time before the expiry of sixty days specified under this clause.

- 6.6 Every institution deemed to be university shall fix the price of each printed copy of the prospectus, being not more than reasonable cost of its publication and distribution and no profit be made out of this publication, distribution or sale of prospectus.
- 6.7 No institution deemed to be university shall, directly or indirectly, demand or charge or accept, capitation fee or demand any donation, by way of consideration for admission to any seat or seats in a course or programme of study conducted by it.
- 6.8 No person shall, directly or indirectly, offer or pay capitation fee or give any donation, by way of consideration either in cash or kind or otherwise, for obtaining admission to any seat or seats in a course or programme of study in any institution deemed to be university.
- 6.9 No institution deemed to be university, who has in its possession or custody, of any document in the form of certificates of degree, diploma or any other award or other document deposited with it by a person for the purpose of seeking admission in such institution, shall refuse to return such degree, certificate award or other document with a view to induce or compel such person to pay any fee or fees in respect of any course or programme of study which such person does not intend to pursue or avail any facility in such institution.
- 6.10 In case a student, after having admitted to an institution deemed to be university, for pursuing any course or programme of study in such institution, subsequently withdraws from such institution, no institution in that case shall refuse to refund such percentage of fee deposited by such student and within such time as has been mentioned in the prospectus of such institution.
- 6.11 No institution deemed to be university shall, issue or publish-
  - (a) any advertisement for inducing students for taking admission in the institution, claiming to be recognized by the appropriate statutory authority where it is not so recognized; or
  - (b) any information, through advertisement or otherwise in respect of its infrastructure or its academic facilities or of its faculty or standard of instruction or academic or research performance, which the institution, or person authorized to issue such advertisement on behalf of the institution knows to be false or not based on facts or to be misleading.
- 6.12 On being declared an institution deemed to be university, an institution shall admit students to its approved academic programme, under its enrolment, only from the academic session that follows the Notification issued by the Central Government:

Provided that enrolment of students to the institution, for any reason whatsoever, in anticipation of the declaration as an institution deemed to be university or inclusion of the institution under the ambit of an institution deemed to be university, shall render the application invalid:

Provided further that the students already on the rolls of the institution prior to the date of application for declaration as an institution deemed to be university or its inclusion under the ambit of an institution deemed to be university shall continue to be students, for all purposes, of the affiliating university with whom they have already been enrolled, and shall also be awarded degree only by that affiliating university."

- 5. In regulation 7 of the Principal Regulation, for sub-clause 7.5.5 of clause 7.5, the following shall be substituted, namely:-
  - "7.5.5 In the event of withdrawal of declaration of 'deemed to be university' status or dissolution of the Managing Society/Trust/Company of the institution deemed to be university, the Corpus Fund shall stand transferred to the Commission for meeting the liabilities, if any:

Provided that in case of a public funded deemed to university, the Corpus Fund shall be transferred to the Central Government or the State Government, as the case may be."

- 6. In regulation 9 of the principal Regulation, for clause 9.1 the following shall be substituted, namely:-
  - "9.1 An institution seeking declaration as an institution deemed to be University under this category shall provide verifiable evidence and validation by leading experts in the field of being devoted to unique and emerging areas of knowledge not being pursued by conventional/existing institutions particularly in specific areas of study and research and preferably, sponsored by the Government of a State/UT or the Central Government regarded as important for strategic needs of the country or for the preservation of our cultural heritage, so determined by a well laid out process of consultation with the eminent peers of the academic community. For this purpose, the applicant shall give justification for grant of deemed university status in a specialised area, along with detailed syllabii of the courses and research programmes conducted by it in the emerging areas of knowledge."
- 7. In regulation 12 of the principal Regulation, after sub-clause 12.03.8, the following shall be inserted, namely:-
  - "12.03A An institution deemed to be university shall be allowed to operate a maximum of six off-campuses beyond its approved geographical boundaries."
- 8. In Regulation 18 of the principal Regulation, the following proviso shall be inserted, namely:-
  - "Provided that where an institution deemed to be university is conducting programmes in distance education from within its geographical boundaries shall continue to do so only with the approval of the concerned statutory body, and in any case not after expiry of ten years from the commencement of the UGC (Institutions Deemed to be Universities) (Amendments) Regulations, 2014."
- 9. In clause 22.2 regulation 22 of the principal Regulation
  - (a) for the words 'shall stand forfeited to the Commission.', the words 'shall stand transferred to the Commission.' shall be substituted;
  - (b) the following proviso shall be inserted, namely:-
  - "Provided that in case of a withdrawal of declaration notifying the institution as a deemed to be university of a public funded deemed to university, the entire movable and immovable properties of the institution deemed to be university shall stand transferred to the Central Government or the State Government, as the case may be."
- 10. In Annexure 1 and Annexure 2 of the principal Regulation :-
  - (a) for the words 'Society or as a Trust', the words 'Society or Trust', and the words 'Society/Trust', wherever appearing, the words 'Society/Trust/Company' shall be substituted.
  - (b) For the words 'Holding Trustee' and the words 'sponsoring Society or Trust', wherever appearing, the words 'sponsoring Society/Trust/Company' shall be substituted.
- 11. In Annexure 1 of the principal Regulation, -
  - (a) for serial number xv) in clause 4.3 the following shall be substituted, namely:-
  - "xv) maximum of two nominees of the sponsoring society/trust/company"
  - (b) for sub-clause (xvi) of clause 4.4, the following shall be substituted, namely:-
  - "(xvi) To transfer or accept transfers of any movable or immovable property on behalf of the institution deemed to be university:

Provided that the Board of Management shall not transfer or alter ownership in any manner whatsoever of any movable or immovable property of the institution deemed to be university without the approval of the sponsoring Society/Trust/Company."

- 12. In Annexure 2 of the principal Regulation,-
  - (a) for clause 1.2, the following shall be substituted, namely :-
  - "1.2 Composition of the Academic Council

The Academic Council shall consist of the following persons, namely :

- 1. Vice-Chancellor.....Chairperson
- 2. Pro Vice-Chancellor
- 3. Dean(s) of Faculties
- 4. Heads of the Departments
- 5. All Professors other than the Heads of the Departments (by rotation of seniority)
- 6. Two Associate Professors from the Departments other than the Heads of the Departments by rotation of seniority

- 7. Two Assistant Professors from the Departments by rotation of seniority
- 8. Three persons from amongst educationists of repute or persons from any other field related to the activities of the Institution deemed to be University who are not in the service of the Institution deemed to be University, nominated by the Vice-Chancellor
- 9. Three persons who are not members of the teaching staff, co-opted by the Academic Council for their specialized knowledge
- 10. The Registrar, who shall be the Secretary of the Academic Council

Note: The representation of different categories shall be only through rotation and not through election.

It may also be ensured that no particular faculty dominates the membership of the Council."

(b) For Clause 5.1 the following shall be substituted, namely:-

"There shall be a Selection Committee for making recommendations to the board of Management for appointment to the post of Professors, Associate Professors, Assistant Professors and such other posts as may be prescribed in accordance with the UGC Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2010 as amended from time to time."

(c) For Clause 5.2 the following shall be substituted, namely:-

"Every Selection Committee shall be constituted in accordance with the UGC Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2010 as amended from time to time."

- (d) For sub-clause (i) of Clause 6.2 the following shall be substituted, namely:-
- "(i) The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of the Institution deemed to be University and shall be appointed in accordance with the UGC Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2010 as amended from time to time:

Provided that in case of a public funded deemed to be university, the Vice Chancellor shall be appointed in accordance with the procedure laid down by the Central Government or the State Government, as the case may be."

- (e) In Clause 16.0 the words and figures "every 5 year or earlier, if necessary, by a Committee", the words and figures "every 5 year or earlier if necessary, by a Committee" shall be substituted.
- (f) In Clause 23.0 the following proviso shall be inserted namely:-

"Provided that in case of a public funded deemed to university, such transfer shall be in favour of the Central Government or the State Government, as the case may be."

Prof. (Dr.) JASPAL S. SANDHU, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./113/14]